महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
जैसलमेर रोड़, राष्ट्रीय मार्ग न. 15, बीकानेर

तकनीकी बिड
निविदा क्रमांक दिनांक

परीक्षा 2020 हेतु उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति संबंधी निविदा की शर्तें

आवश्यक टिप्पणी :– निविदाकार को निविदा में अपनी दर देते समय इन शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिये।

1- ऑनलाइन निविदा प्रपत्र /बिड डॉक्यूमेंट मिलने की (डाउनलोड करने की) समयावधि :-

19-10-19 प्रात: 10:00 बजे से 18-11-19 को पूर्वान्ह : 11:00 बजे तक।

ऑनलाइन निविदा प्रपत्र/बिड डॉक्यूमेंट अपलोड करने की समयावधि :-

22-10-19 प्रात: 10:00 बजे से 18-11-19 को अपरान्ह: 1:00 बजे तक।

ऑनलाइन निविदा प्रपत्र की तकनीकी बिड के खोलने की तिथि व समय :-

18-11-19 को अपरान्ह: 02:00 बजे से। वित्तीय बिड खोलने की तिथि अलग से सूचित की जायेगी।

1. विश्वविद्यालय परीक्षा 2020 में उपयोग हेतू लगभग 2300000 उत्तर पुस्तिकाएं 22 x 28 cm नाप की तैयार साईज की आवश्यकता रहेगी। मुख्य उत्तर पुस्तिकाएं 36 पृष्ठ की होंगी जिनमें दोनो तरफ से मुख्य पृष्ठ को छोड़कर शेष पृष्ठों की संख्या 1 से 34 तक अंकित होगी। 34 पृष्ठ के अतिरिक्त मुख्य कवर लाल स्याही द्वारा छपा होगा जिस पर 3 बार कोड, 01 सिरीयल नम्बर एवं 2 परफोरेशन मार्क्स तथा ओ एम आर मार्क काली स्याही से मुद्रित किया जायेगा। मुख्य कवर के पीछे लाल स्याही में छात्रों को दिये जाने वाले निर्देश छपवाए जाने है। ओ एम आर रूपी मुख्य कवर 100 जी एस एम का होना चाहिये तथा उस पर प्रस्तुत विवरण यथा रोल नम्बर आदि को कम्पयूट्राईज्ड पद्धति द्वारा पढ़ा जाना चाहिए। मुख्य कवर का नमूना सलंग्न है। मुख्य परीक्षा में प्रयोग में ली जाने वाली उत्तर पुस्तिका के समस्त 36 पृष्ठों का 22 x 28 cm होगा जिसमें समस्त पृष्ठों को एक्जाई करते हुए मशीन द्वारा धागे से डबल सिलाई करनी अनिवार्य होगी।

2. मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के मुख्य कवर के अतिरिक्त शेष 36 पृष्ठ तथा प्रायोगिक उत्तर पुस्तिका के कवर पेज सहित संमस्त 20 पृष्ठ 58 जी एस एम (brightness above 80) के होंगे। प्रायोगिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में मुख्य पृष्ठ को छोड़कर शेष पृष्ठों की संख्या 1 से 18 तक अंकित होगी। उक्त 34 व 18 पृष्ठ की उत्तर पुस्तिकाओं में प्रयोग होने वाले पृष्ठ का नमूना संलग्न है। मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर बार कोड का प्रकार variable होगा जो 128 टाइप का होगा व लेजर प्रिंट किया जाएगा। प्रायोगिक उत्तर पुस्तिका में बारकोड variable नहीं होगा।
3. तकनीकी रूप से पात्र पाई गई न्यूनतम दरदाता फर्म को क्रयादेश से पूर्व क्रय समिति द्वारा कार्य क्षमता व संसाधन की पुष्टि हेतु भौतिक सत्यापन से संतुष्ट होने पर विश्वविद्यालय के

निर्देशानुसार फर्म को नमूने प्रस्तुत करने होंगे। फर्म द्वारा प्रस्तुत मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के नमूने को विश्वविद्यालय की ऑनलाइन जॉब वर्क परीक्षा कार्य हेतु अनुमोदित फर्म द्वारा परीक्षण कर मुख्य पृष्ठ की बारकोडिंग/डीकोडिंग आदि की तकनीकी जांच उपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर ही उत्तरपुस्तिका आपूर्ति हेतु कार्यादेश जारी किया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित केन्द्रों पर कार्यादेश जारी होने के 40 दिवस में सम्पूर्ण आपूर्ति करनी होगी।

4. विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा–2020 हेतु क्रय की जाने वाली प्रायोगिक परीक्षाओं हेतु लगभग 2,00,000 उत्तर पुस्तिकाएं 22 x 28 cm नाप की तैयार साईज की बनानी होगी। प्रायोगिक उत्तर पुस्तिकाओं के 20 पृष्ठ में (मुख्य कवर के दोनो ओर नीली स्याही से छपाई सहित) से कवर पेज को छोड़कर पृष्ठों की संख्या 1 से 18 तक अंकित होगी, तथा प्रायोगिक उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर "प्रायोगिक परीक्षा" का अंकन किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक उत्तर पुस्तिका पर क्रमांक (नम्बर) एवं बार कोड (STATIC) मुद्रित किये जाने है।
5. दरों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये और दरें अंकों के साथ शब्दों में भी अवश्य लिखी जानी चाहिए।
6. अर्नेस्ट मनी, निविदा शुल्क तथा ई–निविदा शुल्क के अभाव में निविदा पूर्णतया निरस्त मानी जाकर उस पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. निविदादाता संबंधित कार्य/सामग्री आपूर्ति हेतु रजिस्टर्ड/अनुमोदित प्रदाय हो तथा उक्त कार्य/व्यवसाय कर रहे होने संबंधी प्रपत्र संलग्न करें।
8. निविदादाता फर्म को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं की उत्तर पुस्तिका मुद्रित एवं परीक्षा केन्द्रों पर आपूर्ति करने का विगत 5 वर्षों में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना आवश्यक हैं ।
9. फर्म का पिछले तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर रूपयें 01 करोड़ या उससे अधिक होना चाहिए।
10. निविदा पत्र में कोई बात अस्पष्ट लगे तो निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व कार्यालय से स्पष्ट कर ले बाद में किसी भी आवेदन/प्रतिवेदन पर विचार नही किया जावेगा।
11. उत्तर पुस्तिकाओं के लिए प्रदत्त दरों में उत्तर पुस्तिकाओं के कागज, कर (जी एस टी), छपाई, पोस्टेज, लेबर चार्ज व आपूर्ति का खर्च (भाड़ा) आदि सम्मिलित होंगे। निविदत दरों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
12. उत्तर पुस्तिकाओं में प्रत्येक पृष्ठ पर एक बड़ी लाईन (वर्टिकल) नीली स्याही से हांसिया के रूप में तथा 20 लाईने आड़ी (हॉरिजोंटल) नीली स्याही से करनी होगी।
13. उत्तर पुस्तिकाओं को 50–50 के पैकेट में मोटे क्राफ्ट पेपर में पैक करके सूतली द्वारा चारों ओर से बांधा जायेगा तथा **36** पृष्ठ व 20 पृष्ठ के बंडल की 500 उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल तैयार करने होगें।
14. उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करें तथा मार्ग में खराब न हो। उत्तर पुस्तिकाएं मार्ग में भीग जाने अथवा पैकिंग ठीक न होने से खराब हो जाने या फट जाने पर उसकी पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी।
15. उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल अच्छी पैकिंग सहित राजस्थान में स्थित बीकानेर संभाग के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर विश्वविद्यालय कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार रेल्वे या पंजीकृत ट्रांसपोर्ट कम्पनी या स्वयं के वाहन से महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय कार्यालय को भेजने होंगे। इस हेतु होने वाले समस्त व्यय तथा ठेलागाड़ी तथा रेल और ट्रांसपोर्ट कम्पनी का भाड़ा तथा पोस्टेज आदि फर्म को ही वहन करना होगा। रेल्वे/ट्रांसपोर्ट कम्पनी से परीक्षा केंद्रों पर पहुचानें का दायित्व भी फर्म का होगा।
16. निविदा में अंकित उत्तर पुस्तिकाओं की आदेशित संख्या बढ़ाने व घटाने का अधिकार विश्वविद्यालय का रहेगा।
17. (1) फर्म को विश्वविद्यालय द्वारा कार्योदेश जारी होने के 7 दिवस में अनुबंध हस्ताक्षरित करते हुए छपाई की प्रुफ चैकिंग हेतु 10 उत्तरपुस्तिकाए प्रस्तुत करनी होगी। विश्वविद्यालय द्वारा सात दिवस में अथवा इससे पूर्व प्रुफ चैक कर फर्म को छपाई कार्य प्रारम्भ करने का आदेश जारी किया जावेगा। छपाई आदेश के पश्चात् 40 दिवस में परीक्षा केन्द्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति करनी होगी।
    (2) निविदा अवधि के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा नवीन परीक्षा केंन्द्र स्वीकृत करने पर ऐसे केंन्द्रों पर भी उत्तरपुस्तिकाओं की आपूर्ति करनी होगी।
18. **निविदा प्रस्तुतकर्ता उत्तर पुस्तिकाएं बनाने की अपनी दरें प्रति हजार की संख्या में ए–ग्रेड मिल कागज सहित समस्त कर एवं अन्य खर्चे सहित ऑन–लाइन ही देवें।**

19. निर्धारित अवधि में सप्लाई न करने पर देरी के लिए नियमानुसार विलम्ब शुल्क (LD)/क्षतिपूर्ति राशि की निम्नवत् काटौती की जावेगी :–

क	निर्धारित सुपूर्दगी की कालावधि के 1/4 से अनाधिक कालावधि की देरी	2.5 प्रतिशत
ख	1/4 से अधिक किन्तु निर्धारित सुपूर्दगी की कालावधि के 1/2 से अनाधिक कालावधि की देरी के लिए	5.0 प्रतिशत
ग	1/2 से अधिक किन्तु निर्धारित सुपूर्दगी की कालावधि के 3/4 से अनाधिक कालावधि की देरी के लिए	7.5 प्रतिशत
घ	3/4 से अधिक किन्तु निर्धारित सुपूर्दगी की कालावधि के बराबर से अनाधिक कालावधि की देरी के लिए	10 प्रतिशत

20. निविदा के साथ 4.00 लाख रूपये की धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराना होगा तथा नियमानुसार राशि के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध एसआर–17 पर करना होगा । जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत होगी उसे कार्य की कुल राशि का 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जमा करानी होगी, जो कार्य संतोषजनक पूर्ण होने तक विश्वविद्यालय के पास जमा रहेगी तथा इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् कार्य करने में असमर्थता प्रकट करने पर धरोहर/प्रतिभूति जमा राशि जब्त कर ली जायेगी तथा अन्य पार्टी से कार्य करवा लिया जावेगा एवं विश्वविद्यालय को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति दोषी फर्म को करनी होगी।
21. उत्तर पुस्तिकाओं के नमूने कार्यालय दिवस पर कार्यावधि में देखे जा सकते है।
22. निविदादाताओ को निविदा के साथ अपनी फर्म के बारे में पूर्ण विवरण तथा कार्यस्थान का पता, नियमित मजदूरों की संख्या, उपलब्ध मशीनों की संख्या एवं क्षमता का विवरण देना होगा, ताकि फर्म की कार्यक्षमता तथा वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। पूर्व में किये गये समान प्रकृति के कार्य (यदि कोई हो) का विवरण उपबंध 'अ' में पूर्ति कर निविदा फार्म के साथ संलग्न करें।
23. प्राप्त निविदाओं या उनकी दरों तथा अन्य शर्तो को मानने या न मानने का अंतिम अधिकार विश्वविद्यालय का होगा।
24. उत्तर पुस्तिकाओं को नमूने की दस–दस उत्तर पुस्तिकाएं बनाकर क्रय समिति से अनुमोदित करवानी होगी तथा अनुमोदित नमूने के अनुसार ही उत्तर पुस्तिकाएं बनानी होगी। आपूर्ति अवधि शर्त संख्या 16 के अनुसार ही मान्य होगी। परीक्षा नियंत्रक या उनके प्रतिनिधि को बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय फर्म का निरीक्षण करने तथा यह देखने का अधिकार होगा कि कार्य निविदा प्रपत्र की शर्तों एवं कार्यादेश के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं। परीक्षा नियंत्रक की रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय को कार्य बीच में ही रोक देने का अधिकार होगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा।
25. जिस फर्म की निविदा स्वीकृत की जायेगी उसका यह उत्तरदायित्व होगा कि व उपर्युक्त वर्णित सभी शर्तो का पूर्ण पालन करते हुए उत्तर पुस्तिकाएं बनाने तथा भेजने का कार्य निर्धारित समय पर निर्देशानुसार संपादन करें। यदि फर्म किसी शर्त का पालन करने में असमर्थ रहती है, अथवा कार्य संतोषजनक नही पाया जाता है, अथवा कार्य की प्रगति धीमी प्रतीत होती है तो विश्वविद्यालय अनुबंध को निरस्त करने, प्रतिभूति राशि जब्त करने एवं कार्य अन्य फर्म से कराने को स्वतंत्र होगा। जिससे विश्वविद्यालय को यदि कोई अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता हो तो उसका उत्तरदायित्व दोषी फर्म का होगा।
26. उत्तर पुस्तिकाओं की सप्लाई पूर्ण करने के पश्चात् यह प्रमाण पत्र देना होगा कि फर्म द्वारा बनाई गई समस्त उत्तर पुस्तिकाएं विश्वविद्यालय या संबंधित केन्द्रों को भेज दी गई है तथा फर्म के पास एक भी रिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं है। संबंधित शेष समस्त सामग्री नष्ट कर दी गई है।
27. इन शर्तों के आशय अथवा कार्य संचालन के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर कुलपति, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर का निर्णय अंतिम होगा जो विश्वविद्यालय एवं फर्म दोनों के लिये बाध्यकारी होगा। इस संबंध में उत्पन्न विवाद या शर्तो के बारे में बीकानेर शहर के बाहर के किसी भी न्यायालय में कानूनी कार्यवाही नही की जा सकेगी।
28. **समस्त** परीक्षा केन्द्रों पर आदेशित मात्रा में उत्तर **पुस्तिकाओं की** सम्पूर्ण आपूर्ति करने के पश्चात् 90 प्रतिशत भुगतान उत्तर पुस्तिकाओं की प्राप्ति की सूचना निर्धारित प्रारूप **(उपाबंध 'ब') में केन्द्रों से प्राप्त होने पर ही किया जायेगा । शेष 10 प्रतिशत का भुगतान दोनों तरह की उत्तरपुस्तिकाओं के कागजों की जी. एस.एम. एवं ब्राइटनेस की जांच तथा विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाएं समाप्त होने के पश्चात् किया जायेगा ।**

उपाबंध 'ब' निम्नानुसार है : –

उपाबंध 'ब'

परीक्षा केन्द्रों/ विश्वविद्यालय द्वारा फर्म से माल प्राप्ति पर दिया जाने वाला प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि मैसर्स .....
से चालान नम्बर.....दिनांक .....के द्वारा निम्नवत उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति दिनांक.....
.को प्राप्त की गई।

उत्तर पुस्तिकाओं का विवरण	पृष्ठ संख्या	मात्रा
मुख्य उत्तर पुस्तिका **के** मुख्य कवर (OMR रूपी) के दोनों ओर **लाल**. स्याही में तथा अंतिम कवर के बाहरी ओर नीली स्याही में छपाई सहित **समस्त पृष्ठों का** साईज 22x28 cm नमूने के अनुसार तैयार साईज (मुख्य **पृष्ठ** 100 GSM एवं **शेष पृष्ठ** 58 GSM)	**34 पृष्ठ + (मुख्य व अंतिम कवर)**	
प्रायोगिक उत्तर पुस्तिका के मुख्य कवर के दोनों ओर नीली स्याही में छपाई सहित साईज 22x28 cm नमूने के अनुसार तैयार साईज	**18 पृष्ठ + (मुख्य कवर)**	

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्राप्त उत्तर पुस्तिकाएं मापदण्ड के अनुसार सही एवं अंकित मात्रा में पूरी पाई गई है। विश्वविद्यालय द्वारा पूरा भुगतान किया जाने पर महाविद्यालय को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

प्राचार्य
(हस्ताक्षर मय मोहर दिनांक सहित)

नोटः– उत्तर पुस्तिकाएं दोषपूर्ण यथा समरूप छपाई न होना, कटी फटी होना आदि पाई जाने पर स्पष्ट उल्लेख किया जाए एवं **प्राप्ति की दिनांक आवश्यक रूप से अंकित करें ।**

29. उत्तर पुस्तिकाओं में प्रयुक्त पेपर ए–ग्रेड मिल जैसे HPC, Century, Orient, Sriballarpur आदि का होना चाहिए । ए–ग्रेड मिल पेपर प्रयुक्त संबंधी आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा । अनुमोदित पेपर के अतिरिक्त अन्य मिल का पेपर पाये जाने पर निविदा की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।
30. निविदा में वाछिंत प्रपत्रों को स्कैन कर अपलोड करना आवश्यक है ।
31. उत्तर पुस्तिकाएं बनाने में प्रयुक्त कागज का सेम्पल फर्म के प्रतिनिधि की उपस्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के सदस्यों द्वारा निकाला जायेगा। जिस पर फर्म के प्रतिनिधि एवं कय समिति के सदस्य/अधिकृत व्यक्ति हस्ताक्षर करेंगे। फर्म द्वारा निर्मित उत्तर पुस्तिकाओं में से रेन्डम सैम्पल के आधार पर विश्वविद्यालय गोदाम अथवा परीक्षा केन्द्रों पर आपूर्तित उत्तर पुस्तिकाएं निकाली जाकर प्रयुक्त किये गये कागज तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित कागज के नमूने की जांच प्रयोगशाला से कराई जा सकेगी।

32. यदि प्रयुक्त कागज में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो टेस्टिंग खर्च फर्म वहन करेगी अन्यथा विश्वविद्यालय वहन करेगा। निर्देशित वजन से कम वजन तथा भारतीय मानक ब्यूरो के मापदण्डों से कम पाये जाने पर कागज की दर के अन्तर की वर्तमान बाजार भाव की दुगुनी राशि की कटौती फर्म को किये जाने वाले भुगतान से करने का विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार होगा, जो फर्म को मान्य होगा।
33. एस.एस.आई. से पंजीकृत फर्मो को धरोहर राशि 1/2 प्रतिशत एवं प्रतिभूति राशि 1 प्रतिशत नियमानुसार जमा करानी होगी। यह छूट तभी देय होगी जब निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी तत्संबंधी कार्य के पंजीकरण आदि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।
34. ऑनलाइन निविदा के साथ अपरिहार्य रूप से **GST** रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे ।
35. कोई भी विवाद होने की स्थिति में कानूनी कार्यवाही केवल बीकानेर स्थित न्यायालय में ही की जा सकेगी।
36. क्रयादेश अनुबंधों की शर्तो को "भंग" करने या संविदा के असंतोषप्रद ढंग से पूरा करने पर क्रेता अधिकारी द्वारा पूर्णतः या अंशतः प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली जावेगी इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
37. उत्तर पुस्तिकाओं के अंदर के पृष्ठों की संख्या में कमी अथवा अधिकता की शिकायत प्राप्त होने पर, उनमें फटे हुये पृष्ठ होने, उनमें कहीं–कहीं लाईने नहीं होने अथवा दोषपूर्ण होने अर्थात उत्तर पुस्तिकाओं की बनावट, छपाई समरूप नही होने आदि के बारे में केन्द्रों से किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं का भुगतान नहीं किया जाएगा तथा फर्म पर शास्ति भी आरोपित की जा सकती है। शास्ति निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।
38. महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर का कार्यक्षेत्र बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ एवं चुरू जिला हैं। अतः इन जिलो में स्थित महाविद्यालयों में परीक्षा केन्द्र निर्धारित हैं जिसकी सूची अलग से उपलब्ध करा दी जायेगी ।
39. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बतलाए अस्वीकार करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
40. निविदादाता फर्म का नाम व पता.....
.....

1. टेलीफोन नंम्बर कार्यालय/निवास.....
2. निविदा शुल्क की राशि .....नकद रसीद.....एवं दिनांक.....
.....द्वारा रेखांकित पोस्टल ऑर्डर/ ड्राफ्ट संख्या.....के द्वारा जमा करा दी गई हैं ।
3. बैंक ड्राफ्ट /बैंक चैक संख्या.....जो (बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है। दिनांक .....रूपये.....के लिये धरोहर राशि के पेटे संलग्न किया जाता है।

क्र.सं.	उत्तरपुस्तिकाओं का विवरण A ग्रेड मिल कागज सहित **(दरों का अंकन वित्तीय बिड में किया जावे)**	पृष्ठ संख्या	मात्रा
1.	मुख्य उत्तर पुस्तिका के मुख्य कवर (OMR रूपी) के दोनों ओर **लाल**. स्याही में तथा अंतिम कवर के बाहरी ओर नीली स्याही में छपाई सहित **समस्त** पृष्ठों का साईज 22x28 cm नमूने के अनुसार तैयार साईज **मुख्य कवर (OMR रूपी)** 100 GSM एवं **शेष पृष्ठ** 58 GSM	34 पृष्ठ + **मुख्य व अंतिम कवर**	**23** लाख
2.	प्रायोगिक उत्तर पुस्तिका के मुख्य कवर के दोनों ओर नीली स्याही में छपाई सहित साईज 22x28 cm नमूने के अनुसार तैयार साईज	18 पृष्ठ + (मुख्य कवर)	**2** लाख

- प्रयुक्त किये जाने वाले 'ए' ग्रेड मिल पेपर का नाम ऑन–लाइन निविदा के साथ अंकित करें ।

41. निविदा की शर्तो एवं नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित कागजों पर छपाई कर आपूर्ति की जावेगी।

42. निविदा ई–प्रोक्योरमेंट साइट से डाउनलोड करके, हस्ताक्षर करके मय आवश्यक प्रपत्रों की स्कैन कॉपी ई–प्रोक्योरमेंट साइट पर उपलब्ध करवानी होगी वितिय बिड इसी साइट उपलब्ध वितिय बिड शीट में ऑनलाइन अंकित करनी होगी । वित्तीय बिड को स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाना है । भौतिक रूप से निविदा स्वीकार्य नहीं होगी ।
43. विश्वविद्यालय की वेबसाइट व spp पोर्टल पर भी निविदा डाउनलोड/अपलोड नहीं की जा सकेगी । उक्त दोनों वेबसाइट पर निविदा प्रपत्र मात्र अवलोकनार्थ डाले गए है ।
44. व्यवसाय कार्यानुभव संबंधी विवरण पत्र उपाबंध "अ" पूर्ति **कर मय हस्ताक्षर** ऑन–लाइन निविदा के साथ **अपलोड** करें ।
45. इस निविदा एवं अनुबंध के संबंध में अन्य शर्तें एवं नियम, जिनका उल्लेख उपर नहीं किया गया है, राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुसार होंगे।

व्यवसाय कार्यानुभव संबंधी विवरण प्रपत्र (उपाबंध 'अ')

उत्तर पुस्तिका निर्माण की क्षमता का विवरण	वित्तीय सुदृढ़ता का विवरण गत तीन वर्षों का (वार्षिक टर्न ऑवर)	उपकरण/मशीन /नियमित मजदूर आदि का विवरण	फैक्ट्री व गोदाम फर्म कार्यालय का विवरण	व्यवसायिक कार्यकुशलता का विवरण	कार्यानुभव का विवरण	रजिस्ट्रेशन/अनुमोदित प्रदायक संबंधी विवरण	अन्य विवरण जो फर्म देना चाहे

46. मै निविदा की शर्तों एवं नियमों से सहमत हूँ। **हस्ताक्षर निविदादाता**

online वित्तीय बिड

निविदा क्रमांक दिनांक

क्र.सं.	उत्तर पुस्तिकाओं का विवरण	पृष्ठ संख्या	दर प्रति हजार उत्तर पुस्तिका समस्त कर सहित
1	मुख्य उत्तर पुस्तिका के मुख्य कवर (OMR रूपी) के दोनों ओर लाल. स्याही में तथा अंतिम कवर के बाहरी ओर नीली स्याही में छपाई सहित समस्त पृष्ठों का साईज 22x28 cm नमूने के अनुसार तैयार साईज (मुख्य कवर/OMR रूपी) 100 GSM एवं शेष पृष्ठ 58 GSM	34 पृष्ठ + (मुख्य व अंतिम कवर)	
2.	प्रायोगिक उत्तर पुस्तिका के मुख्य कवर के दोनों ओर नीली स्याही में छपाई सहित साईज 22x28 cm नमूने के अनुसार तैयार साईज	18 पृष्ठ + (मुख्य कवर)	

हस्ताक्षर निविदादाता

अनुलग्नक–"अ"

सत्यनिष्ठा की संहिता

उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदेका कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा;

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा; हित का विरोध

हित का विरोध

कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है;

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा की अतिरिक्त शर्तें

1. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार**

बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर,सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल
मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे योग में सुधार किया जायेगा ; और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

2. **किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार.**– उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

परिमाण में परिवर्तन का अधिकार.–

(1) संविदा के अधिनिर्णयके समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।

(2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपंबधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी –

(क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 20 प्रतिशत और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 25 प्रतिशत।

3. . **अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन.**– सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी हैं या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

अनुलग्नक "स"

निविदा प्रकिया के दौरान शिकायत निवारण

प्रथम अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.....कुलसचिव महाराजा गगांसिंह विश्वविद्यालय जैसलमेर रोड, बीकानेर
द्वितीय अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.....कुलपति महाराजा गगांसिंह विश्वविद्यालय जैसलमेर रोड, बीकानेर

1. यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लघन में हे तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिये पदभिहित किये जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुये, ऐसे विनिश्चिय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारिख से 10 दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व –अर्हता दस्तावेजो या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगाः

परन्तु धारा 27 के निबन्धनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहीयों में भाग लिया हैः
परन्तु यह और की ऐसी दशा में उपापन संस्था वितिय बोली को खोलन से पूर्व तकनीकी बोली का मुल्यांकन करती है, वहा वितिय बोली के मामले से सबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है

1. अधिकारी, जिसके समक्ष उपधारा – 1 के अधीन अपील दाखिल की गयी, है अपील पर यथासंभव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करनी की तारिख से 30 दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा ।
2. यदि उपधारा 01 के अधीन पदभिहित अधिकारी उपधारा 3 में विनिदिष्ट अवधि के भीतर उक्त उपधारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश से व्यथित हे तो बोली लगाने वाला या, या भावी बोली लगाने वाला या यथास्थिति उपापन संस्था, उपधारा 3 में विनिदिष्ट अवधि के आवासन से या, यथास्थिति उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारिख से 15 दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितिय अपील दाखिल कर सकेगा ।
3. धारा 38 के अधीन उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलो से संबंधित किसी विनिश्चय के विद्वध कोई अपील नहीं होगा ।
   अर्थातः
   कः उपापन की आवश्यकता का अवधारण
   ख बोली प्रकिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध
   ग. यह विनिश्यक की निबंधनो में बातचीत की जाये या नहीं
   घ. निबन्धनों में उपापन प्रकिया का रद्वकरण
   ड. गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना ।
4. **अपील का प्रारूप**.– (1) धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।
   (2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

5. **अपील फाइल करने के लिए फीस.–**

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

6. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया.–**

(1) प्रथम अपील प्राधिकारीया, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्ररूप सं. 1

(नियम 83 देखिए)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

..... की अपील सं. .....

(प्रथम/द्वितीय अपील प्राधिकारी) ..... के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां :

(i) अपीलार्थी का नाम :.....

.....

(ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :.....

.....

(iii) आवासिक पता :

2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :

(i)

(ii) .

(iii)

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरूद्ध अपील की गयी है और अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है :

4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :

5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्या :

6. अपील का आधार :

.....

.....

.....

..... (शपथपत्र द्वारा समर्थित)

भाग 4 (ग) राजस्थान राज–पत्र, जनवरी 24, 2013 155(69)

7. प्रार्थना : .....

.....

.....

स्थान : .....

तारीख : .....

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक "ब"

निविदादाता द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र

आप द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक.....दिनांक.....के तहत मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा के संदर्भ में हम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शीता अधिनियम, 2012 के खंड 7 के अतंर्गत यह घोषणा करते है कि

01. मै/हम निविदा दस्तावेजों के अनुसार वांछित अनुभव, तकनीकी, वित्तिय, प्रबंधकीय संसाधन की सक्षमता रखते है ।
02. मै/हम निविदा अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य स्थानीय अधिकार को कर चुकाने बाबत दायित्व लेते है ।
03. मैं/हम ना ही दिवालिया घोषित किया गया है, तथा ना ही मेरी/हमारी फर्म के विरुद्ध न्यायालय/न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही प्रकियाधीन है ।
04. मैं/हम तथा हमारे निदेशक/अधिकारियों द्वारा निविदा प्रकिया के दौरान गत तीन वर्षें में किसी प्रकार का कोई अपराध, संबंधी मामला दर्ज नहीं है तथा किसी भी निविदा प्रकिया से निष्कासित नही किया गया है ।
05. मै/हमारे द्वारा अधिनियम, नियमों के संदर्भ में किसी प्रकार के हित का कोई विरोध नहीं है जो कि उचित प्रतियोगिता को प्रभावित करता हो ।

स्थान : .....
तारीख : .....

निविदादाता के हस्ताक्षर